सं.08/25/2002-आरसी एंड पी

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती (सी एंड पी) अनुभाग

दिनांक : 12.5.2003

विशेष परिपत्र सं.18/2003

विषय:- रिजर्व सूची का प्रचालन - समेकित अनुदेश।

रिजर्व सूची उन उम्मीदवारों का पैनल है जो आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाते हैं और उन्हें आयोग के अनुमोदन से निम्नालिखित मामलों में नियुक्ति के लिए रिजर्व में रखा जाता है:-

रिजर्व सूची का प्रचालन केवल प्रतिस्थापन रिक्तियों को भरने के लिए किया जाता है। यह उन मामलों में भी लागू हो सकती है जब कोई रिक्ति किस पद पर उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर पद से त्यागपत्र देने अथवा उसकी मृत्यु के कारण उत्तपन्न हो। यह सभी पदों पर समान रूप से लागू होगा।

(क) सामान्य परिस्थितियों में आईबीआर को अंतिम रूप दिए जाने की तिथि से 18 माह तक रिजर्व सूची प्रचालन में रहेगी।

(ख) अपवादस्वरूप, इसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है (अन्य कारणों में, इस विस्तार के कुछ आधार हो सकते हैं जैसे उम्मीदवार ने कार्यभार ग्रहण किया परंतु कार्यभार ग्रहण करने के छ: माह पश्चात त्यागपत्र दे दिया अथवा मृत्यु हो गई)।